# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

**पंचायत निगरानी सं.– 138/2025**
**जीसीएमएस सख्या – (2025/222)**

**निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–**
जसवंत सिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिणली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–**
1. सरपंच, ग्राम पंचायत सुबदण्ड, पंचायत समिति, लुणी, जिला जोधपुर।
2. जेठूसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिणली, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर।
3. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत सुबदण्ड की प्रतिबंधित सरकारी भूमि गै.मु. गोचर, ख.नं. 81 में स्थित भूखण्ड बनाप 45 फीट गुणा 60 फीट यानि 2700 वर्गफुट यानि 300 वर्गगज का पट्टा जेठूसिंह पुत्र विजय सिंह के हक में ग्राम पंचायत सुबदण्ड द्वारा दिनांक 05.04.2013 को जारी किया गया।**

**उपस्थिति :–**
1. अधिवक्ता श्री शेखर मेवाडा (प्रार्थीगण की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (अप्रार्थी सं. 02 की ओर से)

**–निर्णय–** **दिनांक : 28.08.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुबदण्ड द्वारा मिसल सं. 22/2012–13 दायर दिनांक 05.02.2013 में बुक सं. 35 में से पट्टा सं. 22 बहक जेठूसिंह पुत्र विजय सिंह निवासी सिणली के पक्ष में जारी दिनांक 05.04.2013 बनाप 300 वर्गगज, को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 12.10.2018 को याची जसवंत सिंह द्वारा पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सुबदण्ड से आक्षेपित पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण को अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया, जिसकी ओर से श्री चन्द्रप्रकाश चौहान ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी जेठूसिंह की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ओर श्री गोपालकृष्ण चौधरी, श्री हनुमान प्रजापति व श्री अशोक, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

3. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिनली की खसरा सं. 81 रकबा 298–03 बीघा भूमि रिकॉर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है, जो सार्वजनिक भूमि है तथा आवंटन से प्रतिबंधित भूमि है। सरपंच रूपाराम व सचिव ग्राम पचांयत सुबदण्ड ने अपने स्वार्थ के लिए उक्त गैर मुमकिन भूमि पर अप्रार्थी जसवंत सिंह के नाम 300 वर्गगज भूमि का पट्टा उक्त गोचर भूमि पर अवैध पट्टा जारी किया गया है। ख.नं. 81 गै.मु. गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत का पट्टे जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। गोचर भूमि आबादी प्रयोजनार्थ पंचायत को आवंटित नहीं की गई है। पचांयत ने पट्टे पर ख.नं. नहीं लिखा है परंतु अप्रार्थी 2 ने पंजीयन हेतु प्रस्तुत पट्टे पर ख.नं. 186 अंकित किया है, जो गांव से 3 किमी दूर खातेदारी की भूमि है तथा भ्रामक जानकारी देकर पट्टे का पंजीयन कराया है। ख.नं. 186 की जमाबंदी पेश की है। अप्रार्थी 2 के पास अन्य मकान उपलब्ध है। आवंटन का पात्र नहीं है। पंचायत में पट्टे का रिकॉर्ड ही नहीं है। जारी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। याची जनहित में यह निगरानी पेश कर रहा है ताकि गांव के पशुओं की चराई के लिए गोचर भूमि उपलब्ध हो सके। आक्षेपित पट्टा नियमों की अवहेलना करके जारी किया गया है। सरपंच ने अपने फायदे के लिए प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.02.2013 की पालना में दिनाक 05.04.2013 को गोचर भूमि पर अवैध पट्टा जारी किया है, जो निरस्त किया जावे। पंचायत ने नियम 256, 258, 262, 266 व 267 की पालना नहीं की है। मनमर्जी से पट्टा कमांक व मिसल नंबर अंकित किये है। गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये है। अतः फर्जी पट्टे को निरस्त किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री शेखर मेवाडा ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टेधारी ने आवेदन पत्र में ख.नं. 138 आबादी भूमि में प्लॉट बताया है। पंचायत कार्यालय प्रति में पट्टे पर कोई खसरा संख्या अंकित नहीं है। उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत पट्टे पर ख.नं. 186 अंकित है। जो.वि.प्रा. में अप्रार्थी 2 जेठूसिंह द्वारा गोचर भूमि में पट्टा प्राप्त करने की शिकायत की गई। जो.वि.प्रा. ने ख.नं. 81 का सीमांकन किया। सीमांकन से जेठूसिंह द्वारा ख.नं. 81 गै.मु. गोचर भूमि पर मकान बनाता हुआ

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पाया गया। ग्राम पंचायत गोचर भूमि पर पट्टा जारी नहीं कर सकती तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी अवैध पट्टे को निरस्त किया जावे।

6. अप्रार्थी सं. 2 श्री जेठु सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने बहस करते हुए कथन किया कि आक्षेपित पट्टा नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है। प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। निगरानी को अस्वीकार किया जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का व ग्राम पंचायत सुबदण्ड से प्राप्त अभिलेख/पत्रावली का अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर गहन मनन किया।

8. (a)ग्राम पंचायत सुबदण्ड से प्राप्त मिसल सं. 22/2012–13 में उपलब्ध, अप्रार्थी सं. 2 श्री जेठू सिंह द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2013 अनुसार, उसने पीढियों से पुराना कब्जा के आधार पर 300 वर्गगज का पट्टा चाहा है तथा शपथ पत्र अनुसार उसने अपना कब्जा ख.नं. 138 आबादी भूमि पर बताया है, जिसके समर्थन में जोरावर सिंह व पारसराम ने शपथ पत्र दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मिसल सं. 22/2012–13 खोली गई। दिनांक 05.03.2013 की पंचायत बैठक में मिसल पेश होने पर प्रस्ताव सं. 01 से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसरण में प्रंस्तावित स्थल निरिक्षण हेतु तीन वार्ड पंच शिवाराम, लाबुराम व पारसकंवर की कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी ने उसी दिनांक को अर्थात 05.03.2013 को ही निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण का प्रपत्र भरकर पंचायत में पेश कर दिया तथा 262 वर्गगज का पट्टा जारी करने की सिफारिश की गई, रिपोर्ट पर सरपंच के भी हस्ताक्षर है। जबकि आवेदन पत्र के साथ 45 फुट गुणा 60 फीट अर्थात् 300 वर्गगज भूमि का नक्शा पेश किया गया है। ग्राम पचांयत ने दिनांक 05.03.2013 को ही प्रस्ताव सं. 1 से सार्वजनिक आपत्तियां अंतर्गत नियम 148 प्रपत्र 22 में एक माह की अवधि में पेश करने का प्रस्ताव पारित किया। दिनांक 05.03.2013 को ही प्रपत्र 22, मिसल सं. 22 में प्रस्तावित भूमि के पडौस दर्शाकर सूचना जारी की है, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। नोटिस के मुखपृष्ठ पर जोरावर सिंह, विक्रम सिंह चंपावत व अमर गिरी के हस्ताक्षर है। उक्त प्रपत्र 22 में जारी नोटिस को संबंधित भूमि पर सदृश्य स्थल पर किसके द्वारा किस तारीख को व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किन–किन स्थानीय मौजिज व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया, इसका कोई उल्लेख नोटिस की पुश्त पर अंकित नहीं है। जो नियम 148 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

दिनांक 05.04.2013 को ग्राम पंचायत की बैठक में मिसल सं. 22/2012–13 पेश की गई। पत्रावली की आदेशिका अनुसार कोई आपत्ति एक माह की अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदन पत्र के संलग्न नक्शे अनुसार 300 वर्गगज की भूमि पर 40 वर्षों पुराना कब्जा माना गया तथा पुराने गृह के भूखण्ड पर आवेदक स्वयं का पुश्तैनी कब्जा माना है तथा नियम 157 के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण कर 200 रूपये लेकर प्रस्ताव सं. 2 से निर्णय लिया गया।

दिनांक 05.04.2013 को ही 200 रूपये की राशि जमा होना बताकर बुक सं. 35 में से पट्टा सं. 22 नाप 300 वर्गगज जारी किया गया है।

(b)उक्त विवरण अनुसार पट्टे जारी करने की संपूर्ण कार्यवाही मात्र दिनांक 05.03.2013 व 05.04.2013 की ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्तावों के आधार पर पूरी कर ली गई है। उक्त दोनों तिथियों की बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया, तो पाया कि बैठक कार्यवाही विवरण सचिव, ग्राम पंचायत सुबेदण्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है। मौका निरीक्षण करने का प्रस्ताव, वास्तविक मौका निरीक्षण व मौका निरीक्षण रिपोर्ट का ग्राम पंचायत द्वारा एक ही तारीख 05.03.2013 को अनुमोदित किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव ही नहीं है।

(c)नियम 148 के प्रावधानानुसार नोटिस चस्पा करने की तारीख से कम से कम एक माह का समय, सार्वजनिक आपत्तियां पेश करने हेतु दिया जाने का प्रावधान आज्ञात्मक है। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस प्रपत्र 22 में, नोटिस दिनांक 05.03.2013 को जारी करना बताया है, परंतु यह नोटिस किस कर्मचारी द्वारा, आंवटित की जाने वाली भूमि पर, किस तारीख को, किन दो प्रतिष्ठित (मौजिज) स्थानीय व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया है, इस बाबत कोई अंकन, नोटिस दिनांक 05.03.2013 की पुश्त पर अंकित ही नहीं है। इस प्रावधान के उल्लंघन से सारी प्रकिया दूषित हो गई है।

(d)इसके अतिरिक्त मौका निरीक्षण कमेटी ने 262 (दो सौ बासठ) वर्गगज पट्टा जारी करने की सिफारिश की है परंतु 262 वर्गगज भूमि का नक्शा तैयार कर प्रमाणित नहीं किया है, फिर भी पट्टा 300 वर्गगज का जारी किया गया है तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भूमि पर 40 वर्ष पुराना गृह बना होना माना है परंतु 40 वर्ष पुराना कब्जा/गृह निर्माण होने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है।

(c)पट्टा बुक सं. 35 में उपलब्ध प्रारूप 23 क, पट्टा सं. 22 दिनांक 05.04.2013 की प्रति में निम्नानुसार पडौस दर्शाये है:–

उत्तर– महादेवजी का मंदिर
दक्षिण–चौक व सडक
पूर्व– सूरजभान सिंह की दुकाने
पश्चिम–गांव का रास्ता
नाप 45 फीट गुणा 60 फीट

उक्त पट्टे में खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है तथा पट्टा पर पट्टे धारक जेठूसिंह व गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त पट्टा का दिनांक 17.09.2014 को सरपंच रूपाराम द्वारा पंजीयन करवाने हेतु उप पंजीयक, लूणी के समक्ष पेश किया, जिसके संलग्न स्टांप पर दिनांक 05.08.2014 को पट्टे का नवीनीकरण करना अंकित है, परंतु पंचायत में उपलब्ध कार्यालय प्रति पर दिनांक 05.08.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा शुल्क लेकर नवीनीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार इसमें ख.नं. 186 का भी उल्लेख है, परंतु इस पर सिर्फ जेठूसिंह के ही हस्ताक्षर है। पट्टे का नवीनीकरण विहित प्रकिया से ही ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है।

9. उक्त पट्टा दिनांक 05.04.2013 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने के बाद याची जसवंत सिंह ने ग्राम सिणली के ख.नं. 81 गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दिनांक 21.05.2017 को की गई, जिसकी जांच जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराई गई। पटवारी (दक्षिण), जो.वि.प्रा. ने जांच में पाया कि ख.नं. 63, 64 व 138 के पास ही ख.नं. 81 गै.मु. गोचर रकबा 298–03 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमें से कई आंवटन किये गये है। संपर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरण भी गै.मु. मंदिर एवं प्याउ तथा गै.मु. सडक के मध्य स्थित है। अतः राजस्व मानचित्र से जांच करने से ही सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दिनांक 11.12.2017 को पटवारी द्वारा मौका जांच की गई, तो जेठूसिंह पुत्र विजय सिंह द्वारा ग्राम पंचायत से जारी रजिस्टर्ड पट्टा की प्रति पेश की तथा मौका रिपोर्ट तैयार की। जेठूसिंह का कब्जा ख.नं. 81 की भूमि पर पाया गया। ख.नं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

81 गै.मु. गोचर की भूमि, जो.वि.प्रा. के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया गया। रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न पत्रावली याची द्वारा पेश की गई है।

तहसीलदार, लूणी के पत्रांक राजस्व/2017/39 दिनांक 26.10.2017 से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को भेजी गई रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 81 गै.मु गोचर भूमि, जो.वि.प्रा. के नाम अभिलिखित होना बताया है जिसमें स्थित एक भूखण्ड, जो कि सांड–पाडे के लिए बाडे प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जाती थी, ग्राम पंचायत ने एक तथाकथित गलत पट्टा श्री जेठूसिंह पुत्र विजयसिंह को जारी कर दिया था, उसे खारिज करने की कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित होना बताया है।

आक्षेपित पट्टे में अंकित पडौस व मौका जांच रिपोर्ट में अंकित पडौस मेल खाते है अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया आक्षेपित पट्टा गोचर भूमि पर जारी किया गया है। इस तथ्य का खण्डन अप्रार्थी जेठूसिंह द्वारा नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 में ग्राम पंचायतों को सिर्फ, ग्राम पंचायत को जिला कलक्टर/राज्य सरकार द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ आंवटित भूमियों का ही विक्रय करने का अधिकार नियम 141 से 167 तक मे विहित प्रकिया अपना कर विक्रय करने का अधिकार दिया गया है। गांव की गोचर भूमि पशुओं की चराई के लिए आरक्षित भूमि है, जिसका अन्यत्र उपयोग राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में दी गई प्रकिया अनुसार राज्य सरकार या जिला कलक्टर द्वारा ही निश्चित सीमा तक ही अनुमत्त किया जा सकता है तथा पशुओं की जनसंख्या अनुसार गोचर भूमि हमेशा उपलब्ध रहना आवश्यक है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार गोचर का अन्यत्र उपयोग प्रतिबंधित है।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (AIR 2011 SC 1123) गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार (DBCWP No. 1554/2004, D/d 08-08-2017) व अन्य कई विनिश्चयों में समय–समय पर गोचर भूमि के संरक्षण हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किये है कि गोचर भूमि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत सुबदण्ड को ख.नं. 81 की आक्षेपित पट्टे की भूमि, आबादी प्रयोजनार्थ सक्षम आदेश से सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित नहीं की गई तथा न ही इस बाबत ग्राम पंचायत/अप्रार्थी 2 ने कोई सबूत पेश किया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा गोचर भूमि पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आवासीय पट्टे जारी करने का कृत्य अवैध व बिना क्षेत्राधिकार के है तथा ऐसे अवैध पट्टों को जीवित रखना विधि प्रावधानों के विपरीत है।

10. रजिस्टर्ड पट्टा भी कभी भी निरस्त किया जा सकता है, उसे निरस्त करवाने हेतु अलग से सिविल कोर्ट में वाद दायर करने का आवश्यक नहीं है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय हैः–

    1. नागरमल बनाम एडीएम सीकर– 2013(1) WLC (Raj) 768
    2. नगर परिषद, पाली बनाम दीनदयाल– DBSAW No. 485/2013 (D/d-16-07-2013) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
    3. झूमरराम बनाम स्टेट– DBSAW No. 656/2017 (D/d 15-12-2017) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
    4. कमला देवी बनाम स्टेट– DBSAW No. 136/2017 (D/d 27-03-2017) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
    5. मिश्रीमल बनाम स्टेट– SBCWP No. 5206/2016 D/d 21-09-2016 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

    उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित व्यवस्था अनुसार आक्षेपित पट्टा का उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराने मात्र से ही, उसे वैद्य नहीं माना जा सकता तथा आक्षेपित पट्टा निरस्त योग्य है।

11. निगरानीकार ने यह निगरानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित गोचर (चरागाह) भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से पेश की है।

    (a)माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने SBCWP No. 693/2008 (गोपाराम देवासी बनाम स्टेट) में पारित निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि गोचर भूमि सार्वजनिक भूमि है जिसका उपयोग व उपभोग गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। अतः वादी को याचिका पेश करने की Locus Standi है तथा वह एक हितबद्ध व्यक्ति है तथा कोई भी हितबद्ध व्यक्ति याचिका पेश कर सकता है।

    (b) SBCWP No. 8096/2008 (राजाराम सेवा सदन बनाम स्टेट) में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2008 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है–

    "If any person residing in the same village, is raising voice against any illegality then he can be termed as an "interested party." If a citizen of village is pointing out any illegality, then

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

it is the duty of the state to act upon, which collector has done. Writ petition dismissed."

(c)In SBCWP No. 2322/2001 (D/d 01-02-2013) रामकुमार ढाका बनाम राज्य में 1984 RLR 938 (देवी बनाम राजस्थान राज्य) का अनुसरण करते हुए प्रतिपादित किया कि ग्राम पंचायत सार्वजनिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत सार्वजनिक भूमि की ट्रस्टी है। ऐसा विक्रय ab initio void and non-est है, जैसा कि चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य 2000(2) डब्ल्यूएलसी (राज.)–1 में अभिनिर्धारित किया गया। जनहित के विरूद्ध पारित संकल्प/नियमों के उल्लंघन में पारित आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसे मामलों में म्याद का प्रश्न गौण हो जाता है।

उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों अनुसार निगरानीकर्ता को यह निगरानी पेश करने का अधिकार है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया आक्षेप अस्वीकार किया जाता है।

12. उपर्युक्त तथ्यात्मक विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों अनुसार ग्राम पंचायत सुबदण्ड द्वारा ग्राम सिणली की भूमि पर जारी आक्षेपित पट्टा विधि प्रावधानों के विपरीत होने, क्षेत्राधिकार के परे होने से खारिज योग्य है तथा याची द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य है।

## आदेश

13. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सुबदण्ड द्वारा मिसल सं. 22/2012–13 दायर दिनांक 05.02.2013 में, पट्टा बुक सं. 35 में जारी पट्टा सं. 22 (प्रारूप 23 क) दिनांक 05.04.2013 बहक श्री जेठूसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी सिणली नाप 300 वर्गगज वाके ग्राम सिणली को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। उक्त पट्टा जारी करने हेतु, इस पट्टे की सीमा तक, ग्राम पंचायत सुबदण्ड द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.02.2013, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.03.2013 एवं प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 05.04.2013 अपास्त किये जाते है।

14. निर्णय की प्रति सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को भेजी जावे।

15. निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत सुबदण्ड को मूल अभिलेख पुनः लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

16. निर्णय की प्रति उप पंजीयक (तहसीलदार), लुणी को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 22 दिनांक 05.04.2013 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त करने का नोट उनके कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज सं. दिनांक पर पृष्ठांकित किया जावे।
17. प्ररकण में अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
18. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर